कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ———— तक

जिला – लातेहार वाद सं०– 18 /2023–24

केस का प्रकार– BLR Act 1950 की धारा 4(H) के तहत सुनवाई।

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.04.2023	आवेदक विसुन साव पिता स्व0 बढ़न साव, ग्राम चमातु थाना बालूमाथ जिला लातेहार के द्वारा आवेदन प्राप्त है। आवेदन पत्र मौजा चमातु के सी0एस0 खाता संख्या–140 प्लॉट संख्या– 732, 1248, 1731, 1774, 1728, 1249, 1245, 1502, 1775, 1811, 1763 कुल रकबा 19.50 एकड़ (हाल सर्वे खाता संख्या– 213 प्लॉट संख्या–926, 822, 902, 1302, 2143, 2273, 2623, 2155, 361, 1307, 1833, 1827, 1837, 2286, 2321, 2331, 2322, 2510, 2505 एवं 2247 कुल प्लॉट 20 रकबा क्रमशः 0.42, 0.43, 0.17, 0.54, 0.64, 1.74, 0.48, 1.50, 2.30, 0.38, 1.10, 0.48, 2.39, 0.23, 0.50, 0.95, 0.97, 1.42, 0.40, 0.38 का कुल रकबा 16.02 एकड़) भूमि से संबंधित है। आवेदक का कहना है कि उपरोक्त भूमि इनके माता स्व0 लछिया साहुन पति बढ़न साव को तत्कालीन जमीन्दार विन्देश्वर सिंह पिता जगन सिंह के द्वारा हुकुमनामा से वर्ष 1942–43 में प्राप्त है। तत्पश्चात 1955–56 तक जमीन्दारी रसीद जमीन्दार के द्वारा निर्गत है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् वर्ष 1973–74 से 2007–08 तक आवेदक के माता के नाम अंचल कार्यालय बालूमाथ से ऑफलाईन लगान रसीद निर्गत है। आवेदक द्वारा हाल सर्वे खाता सं0–213 प्लॉट सं0–926 एवं अन्य 19 प्लॉट कुल रकबा 16.42 एकड़ भूमि का माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची के रिट संख्या– W.P.(C) No. 5738/2022 में पारित आदेश के आलोक में GM भूमि का लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।	

Scanned with CamSc

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मौजा चमातु के सी०एस० खाता संख्या–140 प्लॉट संख्या– 732, 1248, 1731, 1774, 1728, 1249, 1245, 1502, 1775, 1811, 1763 कुल रकबा 19.50 एकड़ (हाल सर्वे खाता संख्या– 213 प्लॉट संख्या–926, 822, 902, 1302, 2143, 2273, 2623, 2155, 361, 1307, 1833, 1827, 1837, 2286, 2321, 2331, 2322, 2510, 2505 एवं 2247 कुल प्लॉट 20 रकबा क्रमशः 0.42, 0.43, 0.17, 0.54, 0.64, 1.74, 0.48, 1.50, 2.30, 0.38, 1.10, 0.48, 2.39, 0.23, 0.50, 0.95, 0.97, 1.42, 0.40, 0.38 का कुल रकबा 16.02 एकड़) भूमि से संबंधित सभी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कायम जमाबंदी संदेहास्पद है। अतः BLR Act 1950 की धारा 4(H) के तहत वाद आरम्भ की जाती है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। सम्पूर्ण साक्ष्य को सरकारी अधिवक्ता को हस्तगत कराते हुए विधिक परामर्श की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16.05.2023 को उपस्थापित करें। 15/5/23 अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	
16.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। वाद में प्रथम पक्ष उपस्थित। कार्यलय के पत्रांक 419 दिनांक 02.05.2023 के द्वारा सरकारी अधिवक्ता से विधिक परामर्श हेतु पत्राचार किया गया है। प्रथम पक्षकार के द्वारा वर्ष 1942–43 का जमीन्दारी हुकुमनामा, जमीन्दारी रसीद, रिटर्न, ऑफलाईन लगान रसीद इत्यादि राजस्व दस्तावेज साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया गया। प्रथम पक्षकार आवेदक के द्वारा CNT Act 1908 की धारा 87 के तहत पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी। सभी उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करना एवं सरकारी राजस्व कर्मी का पक्ष जानना अति आवश्यक है। राजस्व कर्मी से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। वाद की अगली तिथि दिनांक 25.05.2023 को रखें। उभय पक्षकार को नोटिस जारी करें। 16/5/23 अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	

Scanned with CamSc

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। अंचल कार्यालय के पत्रांक 498 दिनांक 22.05.2023 के द्वारा राजस्व कर्मी से सम्पूर्ण बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। वाद में सुनवाई नहीं हो पायी। उभय पक्षकार को नोटिस जारी करें एवं पूर्व में उपलब्ध कराये गये राजस्व दस्तावेज की सत्यापन हेतु संबंधित कार्यालय से पत्राचार करें। अभिलेख दिनांक 07.06.2023 को रखें। अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	
07.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। कार्यालय के पत्रांक 546 दिनांक 31.05.2023 एवं पत्रांक 517 दिनांक 26.05.2023 के द्वारा अभिलेखागार चतरा को पत्राचार की गयी। वादों में सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः पत्राचार करें तथा एक सप्ताह में प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 19.06.2023 को रखें। अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	
19.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। कार्यालय के पत्रांक 609 दिनांक 10.06.2023 के द्वारा अभिलेखागार चतरा से पत्राचार की गई है परन्तु सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है। राजस्व कर्मी के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गई। प्रथम पक्षकार के द्वारा सभी साक्ष्यों का मूल प्रति दिखाया गया। अभिलेख को आदेश हेतु दिनांक 26.06.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	

Scanned with CamSc

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। आदेश हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित। विविध वाद संख्या 18/2023–24 में सुनवाई का आधार माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के द्वारा W.P.(C) No. 5738/2022 में पारित आदेश है। उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के द्वारा निदेशित है कि आवेदनकर्ता सभी साक्ष्य के साथ अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं अंचल अधिकारी चार सप्ताह के अन्तर्गत REASONED ORDER पारित करेंगे। उक्त आलोक में पक्षकार के दिनांक 25.04.2023 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक विसुन साव पिता बढ़न साव के अभ्यावेदन के आलोक में वाद आरंभ की गई है। प्रथम पक्षकार विसुन साव पिता बढ़न साव ग्राम चमातु के द्वारा आवेदन उपलब्ध कराते हुए कहा गया है कि सी0एस0 खाता संख्या–140 प्लॉट संख्या– 732, 1248, 1731, 1774, 1728, 1249, 1245, 1502, 1775, 1811, 1763 कुल रकबा 19.50 एकड़ (आर0एस0 खाता संख्या– 213 प्लॉट संख्या–926, 822, 902, 1302, 2143, 2273, 2623, 2155, 361, 1307, 1833, 1827, 1837, 2286, 2321, 2331, 2322, 2510, 2505 एवं 2247 कुल प्लॉट 20 रकबा क्रमशः 0.42, 0.43, 0.17, 0.54, 0.64, 1.74, 0.48, 1.50, 2.30, 0.38, 1.10, 0.48, 2.39, 0.23, 0.50, 0.95, 0.97, 1.42, 0.40, 0.38 का कुल रकबा–16.02 एकड़) अनावाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ खास) श्रेणी में दर्ज पायी गयी। आवेदक के द्वारा रसीद अद्यतन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्षकार के द्वारा साक्ष्य के रूप वर्ष 1942–43 का सादा हुकुमनामा/पट्टा जो आवेदक की माता लछिया साहु पति बढ़न साव के नाम से तत्कालीन जमीन्दार बिन्देश्वर सिंह पिता जगन सिंह के द्वारा निर्गत है, जमीन्दार के द्वारा उपलब्ध कराया गया जमीन्दारी रसीद, 1973–74 से 2007–08 तक आफलाईन लगान रसीद आवेदक के माता के नाम से निर्गत पाया गया जो सी0एस0 मांग पंजी–II के रैयत है। उपरोक्त साक्ष्यों एवं आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व दस्तावेजों को देखने के पश्चात	

Scanned with CamSc

ये संदेहास्पद प्रतीत होते है इसलिए BLR Act 1950 की धारा 4 (H) के तहत सुनवाई आरंभ की गई तथा आवेदक के साक्ष्य से सभी मूल दस्तावेज की मांग की गई।

सभी साक्ष्यों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने के पश्चात एवं मूल प्रति की मिलान करने के पश्चात कई बिन्दुओं पर विभिन्न कार्यालय से सत्यता की आवश्यकता महसूस की गई। सर्व प्रथम अंचल कार्यालय के पत्रांक 650 दिनांक 23.06.2023 एवं पत्रांक 517 दिनांक 26.05.2023 तथा पत्रांक 609 दिनांक 10.06.2023 के द्वारा जमीन्दार द्वारा रिटर्न दायर करने से संबंधित साक्ष्य के संबंध में सत्यापन कराने हेतु उप समाहर्त्ता, चतरा से पत्राचार किया गया परन्तु अभी तक किसी प्रकार का सत्यापन प्रतिवेदन अंचल कार्यालय बालूमाथ को प्राप्त नहीं है। चूँकि ये मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित था इसलिए मैं स्वयं चतरा अभिलेखागार सत्यापन हेतु गया एवं वहां पदस्थापित पदाधिकारी से सत्यापन के संबंध में पूछताछ किया। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017 में जमीन्दारी रिटर्न से संबंधित साक्ष्य का सत्यापन तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा ही किया गया था।

अंचल कार्यालय बालूमाथ के पत्रांक 419 दिनांक 02.05.2023 के द्वारा सरकारी अधिवक्ता से सम्पूर्ण केस के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए विधि परामर्श मांगी गयी। इसके साथ ही अंचल कार्यालय के पत्रांक 461 दिनांक 12.05.2023 को अपर समाहर्त्ता लातेहार से मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा गया उसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए सरकारी अधिवक्ता प्रदीप पाण्डेय को विधि परामर्श की मांग की गई परन्तु अभी तक इस संबंध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल कार्यालय बालूमाथ के पत्रांक 637 दिनांक 19.06.2023 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक को जांच हेतु आदेशित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा सी0एस0 पंजी– II, ऑफलाईन लगान रसीद इत्यादि का राजस्व अभिलेख से मिलाने करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि सी0एस0 खाता 140 कुल रकबा 19.50 एकड़ का डिमाण्ड सी0एस0 पंजी–II के हो0नं0 70 पर लछिया साहुन पति बढ़न साव के नाम पर चलता है।

अंचल कार्यालय बालूमाथ के विभिन्न पत्रांक एवं दिनांक के द्वारा उपरोक्त वाद में निर्णय लेने के पूर्व मार्गदर्शन एवं विधिक परामर्श की मांग की गई परन्तु किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन एवं विधिक परामर्श प्राप्त नही हुआ।

Scanned with CamSc

चूँकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट नं0 W.P.(C) No. 5738/2022 में पारित आदेश के आलोक में वाद आरंभ की गई है इसलिए इस वाद में REASONED ORDER पारित करना अति आवश्यक है।

उपरोक्त सभी साक्ष्यों एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् ये पाया गया कि मौजा चमातु सी0एस0 खाता 140 प्लॉट संख्या– 732, 1248, 1731, 1774, 1728, 1249, 1245, 1502, 1775, 1811, 1763 कुल रकबा 19.50 एकड़ (हाल सर्वे खाता संख्या– 213 प्लॉट संख्या–926, 822, 902, 1302, 2143, 2273, 2623, 2155, 361, 1307, 1833, 1827, 1837, 2286, 2321, 2331, 2322, 2510, 2505 एवं 2247 कुल प्लॉट 20 रकबा क्रमशः 0.42, 0.43, 0.17, 0.54, 0.64, 1.74, 0.48, 1.50, 2.30, 0.38, 1.10, 0.48, 2.39, 0.23, 0.50, 0.95, 0.97, 1.42, 0.40, 0.38 का कुल रकबा 16.02 एकड) जो अनावाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ खास) के श्रेणी में दर्ज पाया गया है पर होल्डिंग नं0 70 के कायम जमाबंदी रैयत लछिया साहुन पति बढ़न साव का दावा सत्य प्रतीत होता है। सरकार के पत्रांक 2861 दिनांक 08.06.2017 में स्पष्ट वर्णन है कि 01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमीन्दार से सादा हुकुमनामा/पट्टा निर्गत होना चाहिए। इस वाद में 1942–43 में भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा पट्टा निर्गत है। जमीन्दारी रसीद पाया गया। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात जब भूमि से संबंधित शक्ति सरकार में निहित की गई तत्पश्चात अंचल द्वारा लछिया साहुन के नाम हो0नं0 70 में डिमाण्ड कायम किया गया एवं ऑफलाईन लगान रसीद 2007–08 तक निर्गत किया गया। हाल सर्वे का अंतिम प्रकाशन लातेहार जिला वर्ष 2005 में हुआ। प्रथम पक्षकार राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया गया ये वाद संख्या 3731/1990 संचालित की गई एवं राजस्व पदाधिकारी के द्वारा आदेशित किया गया कि खतियान में आवश्यक संशोधन समझा जाए एवं आर0एस0 खाता 213 प्लॉट संख्या–926, 822, 902, 1302, 2143, 2273, 2623, 2155, 361, 1307, 1833, 1827, 1837, 2286, 2321, 2331, 2322, 2510, 2505 एवं 2247 कुल प्लॉट 20 रकबा क्रमशः 0.42, 0.43, 0.17, 0.54, 0.64, 1.74, 0.48, 1.50, 2.30, 0.38, 1.10, 0.48, 2.39, 0.23, 0.50, 0.95, 0.97, 1.42, 0.40, 0.38 का कुल रकबा 16.02 एकड़ को विशुन साव पिता बढ़न साव के नाम से संशोधन समझा जाए। इस विषय पर लातेहार व्यवहार न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। विविधि वाद संख्या–18/2023–24 में अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश उक्त राजस्व वाद में दायर अपील वाद में

Scanned with CamSc

व्यवहार न्यायालय लातेहार के द्वारा पारित अंतिम आदेश के फलाफल प्रभावित होगा। यहां ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि सम्पूर्ण लातेहार जिला में आर0एस0 सर्वे को त्रुटिपूर्ण माना जाता है इस संबंध में सरकार के पत्रांक 438 दिनांक 31.09.2019 के द्वारा पुनः रि–सर्वे हेतु आदेश प्राप्त है। जिला स्तर पर पुनः रि–सर्वे हेतु तैयारी की जा रही है। प्रथम पक्षकार रि–सर्वे में अपने खतियान में आवश्यक संशोधन हेतु उचित कारवाई अपने स्तर से करेंगे।

राजस्व विभाग के पत्रांक 6144 दिनांक 21.12.2017, विभागीय पत्रांक 2074 दिनांक 13.05.2016, विभागीय पत्रांक 2884 दिनांक 10.07.2018, विभागीय पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 इत्यादि में स्पष्ट निदेशित है कि गैरमजरूआ भूमि का यदि पूर्व से लगान कट रहा है तो वैसे स्थिति में उसे BLR Act 1950 की धारा 4 (H) के तहत उचित सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित होने तक उसके रसीद को अद्यतन करें। इस वाद में चार सप्ताह का समय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था चूँकि प्रशासनिक कारणों से एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये समय सीमा के अन्दर अन्तर्गत अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका इसलिए मैं माननीय न्यायालय का सहृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आवेदक के द्वारा चार सप्ताह का समय गुजर जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद Cont. Case(Civil) No. ...../2023 दायर किया गया जिसमें सचिव राजस्व विभाग, उपायुक्त लातेहार एवं अंचल अधिकारी बालूमाथ को पार्टी बनाया गया है। उक्त अवमानना वाद का जवाब तैयार कर शपथ पत्र दायर करने हेतु जिला से निदेशित किया गया है जिसमें शीघ्रता से शपथ पत्र दायर करना अति आवश्यक है।

अतः प्रथम पक्षकार विशुन साव पिता बढ़न साव ग्राम चमातु के द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी राजस्व दस्तावेज, सभी साक्ष्यों का अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् ये स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर आवेदकगण स्थित है तथा आवेदकगण पूर्व से पंजी–II के रैयत है। सरकार के द्वारा विभिन्न तिथियों के द्वारा निर्गत पत्र, राजस्व उप निरीक्षक की जांच प्रतिवेदन, राजस्व वाद संख्या– 3731/90 में पारित आदेश, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश तथा विलम्ब होने के कारण दर्ज अवमानना वाद इत्यादि को देखते हुए आवेदक के पक्ष में आर0एस0 खाता 213 प्लॉट संख्या–926, 822, 902, 1302, 2143, 2273, 2623, 2155, 361, 1307, 1833, 1827, 1837,

Scanned with CamSc

2286, 2321, 2331, 2322, 2510, 2505 एवं 2247 कुल प्लॉट 20 रकबा क्रमशः 0.42, 0.43, 0.17, 0.54, 0.64, 1.74, 0.48, 1.50, 2.30, 0.38, 1.10, 0.48, 2.39, 0.23, 0.50, 0.95, 0.97, 1.42, 0.40, 0.38 का कुल रकबा 16.02 एकड़ भूमि का आर0एस0 पंजी– II अद्यतन करने का आदेश दिया जाता है। शेष 3.48 एकड़ भूमि को प्राप्त करने हेतु आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील वाद दायर करने हेतु आदेशित किया जाता है। चूँकि रिवीजन सर्वे में त्रुटि के कारण रकबा कम पाया गया है जिसका निराकरण माननीय व्यवहार न्यायालय लातेहार के द्वारा ही किया जा सकता है। अंचल अधिकारी का यह आदेश मात्र प्रथम पक्षकार से लगान प्राप्त करने का उद्देश्य भर का होगा। उक्त भूमि पर स्वत्व का निर्धारण माननीय व्यवहार न्यायालय लातेहार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रथम पक्षकार भूमि पर स्वत्व हेतु व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। राजस्व वाद 3731/90 में राजस्व पदाधिकारी के द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय, लातेहार में अपील किया गया है। उक्त अपील वाद में पारित निर्णय से अंचल अधिकारी का यह आदेश प्रभावित होगा।

आदेश से सभी पक्षकारों एवं राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक थाना बालूमाथ एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को अवगत करायें। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

26/6/24

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

26/6/24

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by TRIPTI VIJAYA KUJUR
Date: 2024.08.21 14:50:53 +05:30
Location: 192.168.242.250

Scanned with CamSc